



# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, मुख्यालय, रायपुर

## आदेश

क्रमांक .....122.....

दिनांक 05/01/16

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 10 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.01.2006 में लिये गये निर्णय की पत्र संख्या 21 के अनुसार मण्डल के आदेश क्रमांक 23 दिनांक 23.01.2006 द्वारा मण्डल में प्रचलित एन.आई.टी. में संशोधन हेतु निर्देश जारी किये गये थे। जिसके बिन्दु क्रमांक 2 में कार्य के ठेकेदार को आबंटित कार्य को निर्धारित समयावधि से पूर्व संतुष्टिपूर्वक पूर्ण करने पर उसे कार्य की लागत का 0-1% बोनस के रूप में प्रदान किया जावेगा। बोनस का निर्णय के लिए आयुक्त अधिकृत रहेंगे।

उक्त आदेशानुसार बोनस की राशि प्रदान करने के संबंध में मण्डल द्वारा निम्न समिति का गठन किया जाता है।

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1.अपर आयुक्त                        | - अध्यक्ष |
| 2.मुख्य लेखा अधिकारी                | - सदस्य   |
| 3.उपायुक्त (संबंधित वृत्त)          | - सदस्य   |
| 4.कार्यपालन अभियंता (संबंधित संभाग) | - सदस्य   |

उक्त समिति द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच कर अपनी अनुशंसा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील माना जाये।

आयुक्त  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल  
रायपुर

5/1/16

क्रमांक 35 /आ.आ./तक.शाखा/मुख्या./16

रायपुर, दिनांक 05/01/2016

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
2. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर ।
5. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय/संभाग .....
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल विद्युत संभाग क.-1/2, रायपुर तथा विद्युत संभाग क.-3, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।

ac

आयुक्त  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल  
रायपुर